an>

Title: Regarding banning tourist activities near Rohtang Pass.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के मनाली, रोहतांग की ओर आकर्Âिषत करना चाहता हूं कि रोहतांग एक अंतर्राÂट्रीय पर्यटन स्थल है, जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए देश एवं विदेश से पर्यटक आते हैं।

हिमाचल प्रदेश ने बहुत विलम्ब के उपरांत एनजीटी में जनता का अधूरा पक्ष रखा, जिसके फलस्वरूप मनाली, रोहतांग के व्यवसाइयों और देश-विदेश से आए हुए पर्यटकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। एनजीटी ने 3 मई, 2013 को नेशनल एनवायरनमैंट ऑफ इंजिनियरिंग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर 'निरी' के आधार पर जो आदेश पारित किया, उसमें एक बात कही गई कि रोहतांग ग्लेशियर है और ईको सैंसिटिव एरिया है। लेकिन उसके बाद श्री जे.बी.पन्त की रिपोर्ट के आधार पर तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर उसमें स्पÂट हो गया कि रोहतांग ग्लेशियर नहीं है, रोहतांग मातू स्नोलाइन है और वह ईको सैंसिटिव जोन नहीं है। गुलाबा के ऊपर भी इकोलोजी नहीं रही है। रोहतांग के नजदीक अगर कोई ग्लेशियर है तो उस ग्लेशियर को 'हामता' कहा गया है। इस बात को एनजीटी ने अब स्वीकार कर लिया है।

महोदया, एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) 6 जुलाई, 2015 के आदेश के अनुसार रोहतांग दर्रा व उसके आसपास पर्यटक कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जैसे स्नो स्कूटर, टैक्सी, घुड़सवारी, पैराग्लाडिंग, ढाबा, खोखा, रेहड़ी और खान-पान की दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन कल 9 मई, 2016 के एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) फैसले ने इन लोगों को 12 मई तक कुछ राहत प्रदान की है।

महोदया, ऐसा आदेश आज तक हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य किसी भी राज्य में लागू नहीं किया गया है। यहां के स्थानीय निवासियों का रोजगार भी पर्यटकों पर निर्भर करता है और बिना किसी योजना के यहां के लोगों का रोजगार छीन लिया गया। जिन्होंने बैंकों से ऋण लेकर होटल, टैक्सियां, स्नो स्कूटर व अन्य उपकरण पर्यटकों की सुविधा के लिए खरीदे थे, वे आज सभी बेरोजगार हो गये हैं।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से अनुरोध है कि मनाली के विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर कर रखी है। इसलिए भारत सरकार मनाली, रोहतांग का पक्ष उपरोक्त विÂषय को वैज्ञानिक आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में रखे, ताकि मनाली व रोहतांगवासियों का कारोबार पूर्व की भांति चलता रहे तथा देश-विदेश से आए हुए पर्यटक रोहतांग दर्रा व हिमाचल की वादियों का पहले की भांति लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर एवं श्री पी.पी.चौधरी को श्री राम स्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।